

(4)

डिग्री बमुकदमें ईत्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-219/2019

1. पालाराम पुत्र बलवन्तराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. बलवन्तराम पुत्र मनफुलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सरोज पुत्री बलवन्तराम पत्नी औमप्रकाश } जाति कुम्हार निवासी मनापसर तहसील
3. शारदा पुत्री बलवन्तराम पत्नी किशनलाल } सरदारशहर जिला चुरु।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 बलवन्तराम के नाम से चकनं० 4 बी. आरएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 36/33 में अंकित कुल 1 .3240 है० आराजी का वादी पालाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 4 बी.आरएन के खाता सं० 36/33 में से प्रतिवादीसं० 1 बलवन्तराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...16.08.2019.....को जारी किया गया।



( मीनू वर्मा )

सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी